

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
रामनारायण बनाम प्रहेलाद

तारीख हुक्म

75
2023

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

06/04/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अपीलांट द्वारा अपील न चलाने के कारण खारिज किये जाने का पेश किया। जिसकी प्रति विपक्षी अधिवक्ता को उपलब्ध करवाई गयी तत्पश्चात अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील को नोट प्रेस करते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थी अब अपनी अपील को आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः अपील अपीलार्थी विद्रा/नोट प्रेस किये जाने से खारिज फरमाई जावे। चूँकि अधिवक्ता अपीलार्थी ने नोट प्रेस कर अपीलार्थी द्वारा अपील को आगे नहीं चलाने एवं विद्रा किये जाने से अपील को खारिज किये जाने की इस्तदुआ की है। अतः अपील अपीलार्थी विद्रा/नोट प्रेस किये जाने से खारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

V